UPAD010072932026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय कक्ष संख्या 02, प्रयागराज

उपस्थित : अनुराधा पुण्डीर, ... एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2717/2026

अंशु दुबे पुत्र गिरजा शंकर दुबे, निवासी कसारी, थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन

अपराध सख्या–175/2026

धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986

थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज।

17.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त अंशु दुबे की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संजय कुमार द्विवेदी (अभियुक्त का भाई) का शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है. न विचाराधीन है और न ही निरस्त की गयी है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक पंकज अवस्थी द्वारा दिनांक 21.05.2026 को संबंधित थाने में इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 20.05.26 को वादी मुकदमा मय हमराह सहित देखभाल क्षेत्र एंव तलाश वांछित अभियुक्त एवं एच.एस. चेकिंग मे थाना क्षेत्र मे मामूर थे कि जनता के लोगों द्वारा बिना नाम पता बताये बताया गया कि गैंग लीडर छैला बाबू एक आपराधिक संगठित गिरोह है, जिसका सरगना छैला बाबू सरोज है। जो बडे पैमाने पर जघन्य अपराध अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर करता एवं कराता है। इस बात की जानकारी होने पर पतारसी सुरागरसी थाना स्थानीय पर आया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर छैला वाबू सरोज एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह है। इसके गैंग में 1. अकित कुमार गौतम, 2. अंशू दुबे है। यह लोग अपने एवं अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक एव दुनियाबी लाभ हेतु अपराध करते एवं कराते हैं तथा गैंग के सदस्य बदलते

रहते है। यह लोग विभिन्न क्षेत्रो तथा अन्य जनपदों से दुकान में चोरी, सावर्जनिक स्थलों से वाहनों की चोरी करते है तथा अकूत संपत्ति बना लिये है तथा ऐशोआराम की जिन्दगी व्यतीत करते है। ये इतने दुस्साहसिक प्रवृत्ति के अपराधी हैं कि इनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति डर व भय वश गवाही देने व सूचना देने का साहस नहीं कर पाता है। ये लोग भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6, 17 में वर्णित अपराधों को करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इनका यह आपराधिक कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधि० की धारा 2(ख)(1) मे निहित प्रावधानो, जो भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16, 17 भारतीय न्याय सहिता के अध्याय 6, 17 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। गैंग सरगना छैला बाबू सरोज एवं इसके गैंग के सदस्यों द्वारा निम्न अपराध कारित किये गये है :– 1. मु0अ0सं0 566/2025 धारा 309(4), 317(2) बी.एन.एस. व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 2. मु0अ0सं0 170/2025 धारा 317(4) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज, जिसमें धारा 317(4) बीएनएस का समावेश मु0अ0सं0 136/25 धारा 379 भा0दं0सं0 थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज में किया गया। 3. थाना बहरिया कमिश्नरेट प्रयागराज पर मु0अ0सं0 136/2025 धारा 379, 411 भा0द0सं0 पंजीकृत हैं। अभियुक्तगणों के इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने हेतु उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। श्रीमान पुलिस आयुक्त प्रयागराज द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट अन्य दीगर प्रपत्र संलग्न है।

3. गैंगचार्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध **1.** मुकदमा अपराध संख्या 308/2025 धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस. थाना नवाबगंज, प्रयागराज **2.** मुकदमा अपराध संख्या 135/2025 धारा 309(4), 317(2) बी.एन.एस. थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, **3.** मु0अ0सं0 161/2025 109(1) भा0न्या0सं0 व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ पंजीकृत होना उल्लिखित है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी से खुन्नस खाई स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा अज्ञात में दर्ज मुकदमों में नाम प्रकाश में लाकर प्रस्तुत मामले में फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक मजदूर है तथा मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। प्रार्थी ने कभी किसी को डराया धमकाया नहीं है और न ही भा0द0ंस0 के अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराधों को किया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व का सजा याफ्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक 22.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

5. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विषेश लोक अभियोजक (गैंगस्टर) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि

अभियुक्त द्वारा गैंग के अन्य साथियों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने के लिये चोरी, लूट जैसे गम्भीर अपराध कारित किया गया है, अभियुक्त जमानत पर छूटने से पुनः अपराध की पृनरावृत्ति कर सकता है। संबंधित थाने से अभियुक्त का कुल 07 मामलों का अपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विषेश लोक अभियोजक (गैंगस्टर) के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में चोरी, बरामदगी व हत्या के प्रयास से संबंधित कुल 03 मामले पंजीकृत होना दर्शाया गया है और गैंगचार्ट के अनुमोदन के बाद आवेदक/अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 में सम्बन्धित थाने में दिनांक 21.05.2026 को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 19 (4) यह प्राविधानित करता है कि ''यदि न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट रहे कि पत्रावली पर विश्वास करने योग्य सम्यक तथ्य उपलब्ध है कि अभियुक्त जिस अपराध का आरोपी है वह अपराध उसके द्वारा नहीं किया गया है और भविष्य में भी अभियुक्त के द्वारा अपराध करने की सम्भावना नहीं है तब मात्र इन्हीं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जायेगा।''

8. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि आवेदक/अभियुक्त गैंग सदस्य है तथा अभियुक्त के उपरोक्त गैंग द्वारा कई चोरी, बरामदगी व हत्या प्रयास जैसे गम्भीर अपराध किये जाने का आरोप है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट हो अथवा न्यायालय को यह विश्वास हो सके कि आवेदक/अभियुक्त ने गैंगचार्ट में अंकित अपराध कारित नहीं किया है। संबंधित थाने द्वारा प्रेषित आख्या में आवेदक/अभियुक्त के गैंग चार्ट में वर्णित मुकदमों के अतिरिक्त 04 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास उल्लिखित किया गया है, जो कि चोरी व हत्या के प्रयास से ही संबंधित हैं तथा उनमें एक मामला थाना नवाबगंज में ही उ0प्र0गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम से संबंधित है। उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर भौतिक व आर्थिक लाभ हेतु चोरी व लूट जैसे अपराध कारित किये गये हैं। अतः उसके द्वारा गैंगस्टर के रूप में आगे कार्य जारी रखने से इन्कार नही किया जा सकता। इस प्रकार, गैंगचार्ट/पुलिस आख्या में अभियुक्त के विरूद्ध दर्शित अपराधो की प्रकृति के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि अभियुक्त के सम्बन्ध में उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19 (4) (ख) के अधीन राय सकारात्मक रूप से नही बनायी जा सकती। ऐसी स्थिति में

आवेदक/अभियुक्त के जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत दृष्टिगत रखते रखते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अंशु दुबे की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं. 2717/2026 मुकदमा अपराध सख्या–175/2026 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज। निरस्त किया जाता है।

(अनुराधा पुण्डीर)
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 17.07.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.07.25 15:05:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court